रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2464] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 29, 2017/भाद्र 7, 1939
No. 2464] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 29, 2017/BHADRA 7, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2017

का. आ. 2811(अ).—भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1277 (अ) तारीख 31 मार्च, 2016 उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेपों और सुझावों को आमंत्रित करते हुए एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, प्रारूप अधिसूचना अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 31 मार्च, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारूप अधिसूचना के प्रतिउत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया;

और, संजय डुबरी बाघ संरक्षित जिसमें संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी वन्यजीव अभयारण्य सम्मिलित हैं जो 1674.512 वर्ग किलोमीटर में फैला है जिसमें से 812.581 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बाघ संरक्षित का कोर क्षेत्र है और 861.931 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बफर क्षेत्र है और बाघ संरक्षित का क्षेत्र, जिसके अंतर्गत दोनों कोर और बफर क्षेत्र सम्मिलित हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैला हैं;

और, संजय राष्ट्रीय उद्यान (464.643 वर्ग किलोमीटर) और संजय डुबरी वन्यजीव अभयारण्य (347.938 वर्ग किलोमीटर) मध्य प्रदेश में स्थित हैं और दोनों संरक्षित क्षेत्र एक साथ मिलकर, संजय डुबरी बाघ के कोर क्षेत्र को गठित करते हैं, जो 812.581 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए है;

और, संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी वन्यजीव अभयारण्य में सूखे से आर्द्र पर्णपाती प्रकार के प्रायद्वीय वनस्पति हैं जो कि खुले से अधिक घने वन क्षेत्रों के लिए जाने जाते हैं;

और, संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी वन्यजीव अभयारण्य बांधवगढ़-संजय-गुरु घासीदास-पलामू परिदृश्य का भाग है जो कि चार संभावित बाघ मेटा-जनसंख्या परिदृश्य में से एक है;

और, संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी वन्यजीव अभयारण्य बाघ के लिए बांधवगढ बाघ आरक्षिती के साथ गलियारे की संयोजकता प्रदान करता है और जंगली हाथियों के लिए पलामू बाघ आरक्षित के साथ गलियारे की संयोजकता प्रदान करता है;

और, संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी वन्यजीव अभयारण्य विभिन्न प्रकार के जीवजन्तुओं का वास है; यह 9 संकटापन्न (3 गंभीर रूप से लुप्तप्राय, 3 लुप्तप्राय और 3 कमजोर) और 15 अनुसूची-I पशुओं को आश्रय प्रदान करता है; उक्त आरक्षिती में बाघ, तेंदुआ और रीछ की प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं; उक्त आरक्षिती में कभी-कभी हाथियों के झुंडों के झुंड का प्रमुख आकर्षण होते हैं, जबकि चीतल, नीलगाय, सांभर, चौसिंगा, चिंकारा, मुंजक और जंगली सूअर प्रमुख शिकार प्रजाति हैं; संजय डुबरी वन्यजीव अभयारण्य के डुबरी और बस्तुआ श्रेणी और संजय राष्ट्रीय उद्यान के पोंडी श्रेणी में बाघ की जनसंख्या के लिए आश्रय प्रदान करते हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान की मोहन श्रेणी हाथियों की जनसंख्या के लिए है;

और, विभिन्न बारहमासी नदियां अर्थात् गोपद, बनस, मवाई, महान, कोडमर, उमरारी संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी वन्यजीव अभयारण्य से होते हुए बहती है;

और, संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी वन्यजीव अभयारण्य में जीवजंतु की व्यापक विविधता है जिसमें बाघ, तेंदुआ, रीछ, चीतल, सांभर, चौसिंगा मृग, चिंकारा, मुंजक और जंगली सूअर सम्मिलित हैं;

और, संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जो पारिस्थितिक तथा पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में पूर्वोक्त बाघ अभ्यारण्य के कोर क्षेत्र को साथ-साथ गठित करता है सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैले संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी वन्यजीव अभयारण्य जो बाघ संरक्षिती के कोर क्षेत्र को गठित करते है, की सीमा से 2 किलोमीटर तक की विस्तारित क्षेत्र को संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1.**पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1)** पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी वन्यजीव अभयारण्य जो संजय डुबरी बाघ आरक्षित के कोर क्षेत्र को गठित करते है, की सीमा से 2 किलोमीटर तक होगा।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन 1053.243 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जिसके अंतर्गत संजय डुबरी बाघ आरक्षित का 861.931 वर्ग किलोमीटर का बफर क्षेत्र और जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य का 32.759 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र सम्मिलित है।

(3) मुख्य बिंदुओं के निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन में मध्य प्रदेश के तीन जिले अर्थात शहडोल, सिद्धि और सिंगरौली के 98 ग्रामों और छत्तीसगढ़ के महेन्द्रगढ़ जिले के 3 ग्राम सम्मिलित हैं।

(5) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है ।

(6) पारिस्थितिक संवेदी जोन का क्षेत्र **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य सरकार में सक्षम प्रधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय संबंधी बातों को उक्त योजना में समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि और बागवानी ;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन सहित पारिस्थितिक पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिक और शहरी विकास;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और इस योजना के मानचित्र के साथ विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं का विवरण संलग्न होगा ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगा और अनुच्छेद 4 में सारणी में सूचीबद्ध प्रनिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगा और स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए पर्यावरण अनुकूल विकास को सुनिश्चित करने को बढ़ावा देगा।

(8) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कृत्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय काम्पलैक्स औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भाग में कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) अवसंरचना और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख-सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन में सहायक हैं जिसमें गृह वास सम्मिलित है; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 4 के अधीन दिए गए हैं:

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में प्रकट होने वाली कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप-पैरा के अधीन यथा-उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और वनरोपण तथा विरासत और जैव विविधता संबंधी क्रियाकलापों के साथ अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों या जलसरणी के आवाह क्षेत्र की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिक पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा तथा संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिक पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन मार्गदर्शी सिद्धांतों (समय-समय पर यथा-संशोधित) के अनुसार होगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों के अनुसरण में अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषकों के निस्सारण के लिए साधारण मानकों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा--

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(ख)पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत ठोस अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन) ईएसएम (की पहचान की गई तकनीकों के उपयोग की विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप अनुमति दी जाएगी।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन) ईएसएम (की पहचान की गई तकनीकों के उपयोग की विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप अनुमति दी जाएगी।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय संचालन आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों तथा तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय संचलन के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार यानीय प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी आदि, के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किन्ही नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में केवल गैर- केवल अप्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना को वर्गीकरण के अनुसार अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार है:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित किया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(18) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि यह आवश्यक समझती है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों जिसके अन्तर्गत वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संन्निर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सिविल) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के सर्वदा अनुसरण में होंगी ।
2.	प्रदूषण (जल या वायु या मृदा या ध्वनि, आदि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	(क) कोई नया उद्योग या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। (ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों को स्थापना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	फर्मों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
9.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
10.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
11.	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
12.	होटल और रिसोर्ट का वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों को संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक कि.मी. के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परन्तु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर से परे या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार यथा लागू पर्यटन महायोजना तथा

		मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा ।
13.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवास्यों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी । (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार परिभाषित गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन में जिस में ग्रह वास भी है सहायक हो; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संवर्धित क्रियाकलापों की सूची : (ख) परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ग) एक किलोमीटर से आगे वह आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे ।
14.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
15.	बकरी और भेड़ की वाणिज्यिक पालन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगी ।
16.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कोई कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
17.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी) ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	प्रवासी चरवाहे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
20.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों नियमों और विनियमों मार्गी सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, और उपलब्ध किए जाएंगे ।
21.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संन्निर्माण ।	लागू विधियों नियमों और विनियमों मार्गी सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, और उपलब्ध किए जाएंगे ।
22.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप करना जैसे गर्म हवा के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

23.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	रात्रि में यानीय यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
25.	स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जलकृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण जल निकायों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्रावों का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।
27.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित और क्रियाकलापों की समुचित प्राधिकारी द्वारा मानीटरी की जाएगी।
29.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
31.	पारिस्थितिक-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
32.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
33.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
34.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
35.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
36.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
37.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और ईंधन का उपयोग ।	बायो गैस, सौर लाइट, आदि का संवर्धन किया जाएगा।
38.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीन वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन की निगरानी प्रभावी के लिए मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

1. प्रभागीय आयुक्त, रीवा — अध्यक्ष ;
2. प्रभागीय आयुक्त, शहडोल —सदस्य ;
3. जिला कलेक्टर, सिंगरौली — सदस्य;
4. जिला कलेक्टर, शहडोल — सदस्य;
5. जिला कलेक्टर, सिद्धि — सदस्य;
6. अधीक्षक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, शहडोल — सदस्य ;
7. अधीक्षक अभियंता, लोक स्वास्थ्य विभाग, शहडोल — सदस्य ;
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली — सदस्य ;
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, शहडोल — सदस्य ;
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, सिद्धि -—सदस्य ;

11. राज्य सरकार के नगर और ग्राम योजना विभाग का प्रतिनिधि — सदस्य ;
12. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि — सदस्य;
13. पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन का मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक प्रतिनिधि — सदस्य;
14. राज्य के किसी विख्यात संस्थान या विश्वविद्यालय से प्रतिनिधि पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक विशेषज्ञ — सदस्य;
15. राज्य जैव विविधता बोर्ड सदस्य — सदस्य;
16. क्षेत्र निदेशक, संजय डुबरी बाघ आरक्षिती — सदस्य सचिव ;

6. निर्देश का निबंधन

(1) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी ।

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति, मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव रक्षक को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/122/2015-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

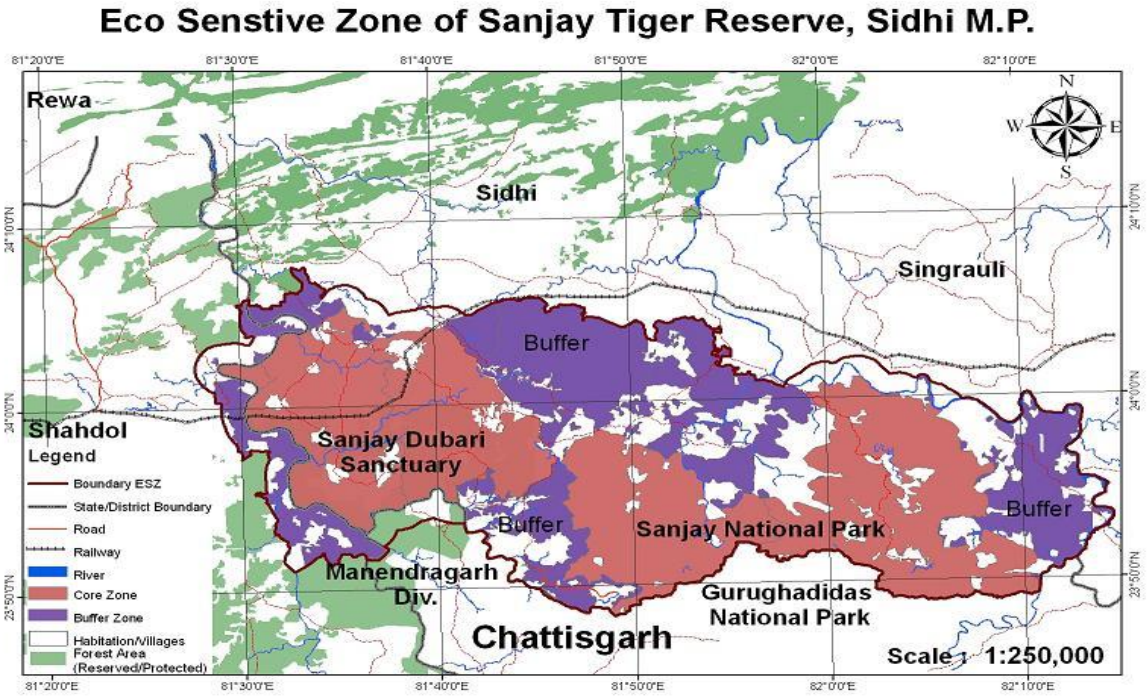

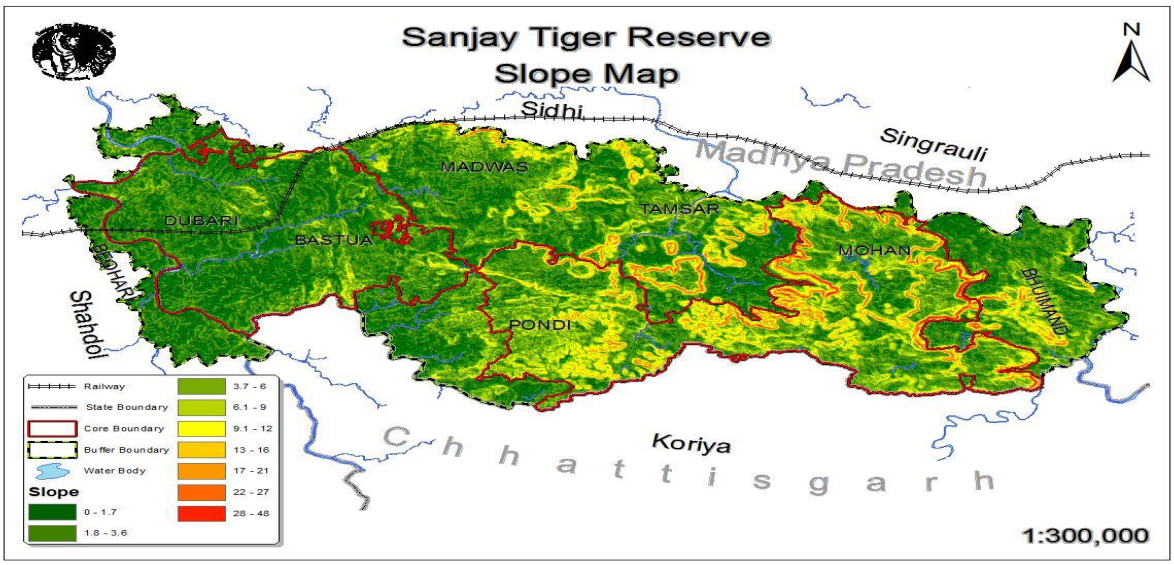

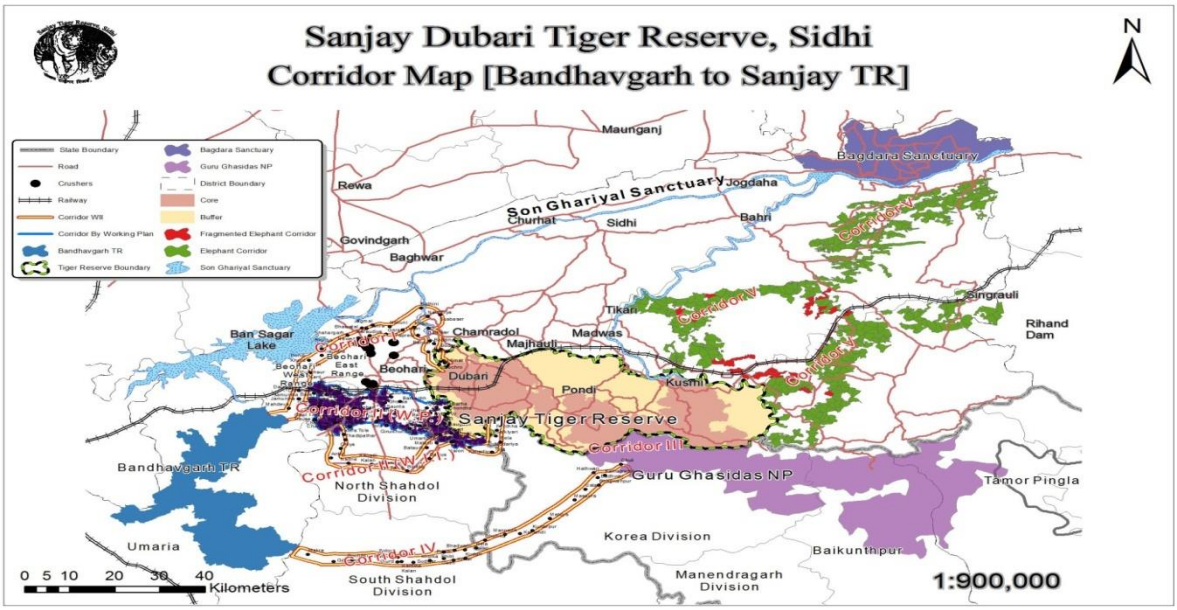

मुख्य अवस्थानों के साथ संजय बाघ आरक्षिती के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भू मण्डलीय स्थिति प्रणाली निर्देशांक

बिंदु नाम	अक्षांश	देशांतर
पू 1	23° 51' 4.984" उ	82° 10' 35.933" पू
पू 2	23° 53' 25.401" उ	82° 14' 37.832" पू
उ 1	24° 5' 35.843" उ	81° 35' 27.404" पू
उ 2	24° 7' 39.568" उ	81° 32' 45.529" पू
द 1	23° 48' 33.513" उ	81° 47' 29.256" पू
द 2	23° 48' 23.213" उ	81° 48' 58.713" पू
प 1	24° 2' 9.668" उ	81° 28' 50.959" पू
प 2	24° 2' 7.881" उ	81° 27' 39.454" पू

उपाबंध II

पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामो की सूची के साथ निर्देशांक

पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामो की सूची के साथ निर्देशांक

क्रम. सं .	राज्य	जिला	प्रभाग	राजस्व	अक्षांश (डी डी)	देशांतर (डी डी)	विस्तार (हेक्टेयर)
1	मध्य प्रदेश	शहडोल	उत्तर शहडोल	बुचरो	24.06114528	81.52151722	1794.853
2	मध्य प्रदेश	शहडोल	उत्तर शहडोल	कुदारा	23.91503278	81.52030056	693.179
3	मध्य प्रदेश	शहडोल	उत्तर शहडोल	काइलरी	23.96599944	81.50953639	1938.728
4	मध्य प्रदेश	शहडोल	उत्तर शहडोल	जमुरी	23.88525167	81.55605833	1915.454
5	मध्य प्रदेश	शहडोल	उत्तर शहडोल	बेलहा	23.91849667	81.53654583	493.147
6	मध्य प्रदेश	शहडोल	उत्तर शहडोल	मीथउली	23.88924972	81.53362889	289.247
7	मध्य प्रदेश	शहडोल	उत्तर शहडोल	कुथुली	2388027861	81.5836125	843.066
8	मध्य प्रदेश	शहडोल	उत्तर शहडोल	खरगरी	23.86470222	81.60479889	1579.521

9	मध्य प्रदेश	शहडोल	उत्तर शहडोल	धोनहा	23.986195	81.48775389	1299.505
10	मध्य प्रदेश	शहडोल	उत्तर शहडोल	पालाहा	23.91116083	81.52471694	71.81
11	मध्य प्रदेश	शहडोल	उत्तर शहडोल	पीपरी	23.87020083	81.54230167	180.02
12	मध्य प्रदेश	शहडोल	उत्तर शहडोल	बनसा	24.1077325	81.50593056	298.25
13	मध्य प्रदेश	शहडोल	उत्तर शहडोल	खादहा	23.98067361	81.49064639	507.46
14	मध्य प्रदेश	शहडोल	उत्तर शहडोल	सरबरी	24.04489333	81.4979525	341.96
			उत्तर शहडोल कुल		**12246.197**		
15	मध्य प्रदेश	सिद्धि	संजय टी आर	बरकादोल	24..07353472	81.57295167	249.23
16	मध्य प्रदेश	सिद्धि	संजय टी आर	बसतुआ	24.00224861	81.73506556	1185.39
17	मध्य प्रदेश	सिद्धि	संजय टी आर	गोलीफरी	23.89886111	81.90297222	201.47
18	मध्य प्रदेश	सिद्धि	संजय टी आर	कुदरिया	24.033250583	81.70979139	330.09
19	मध्य प्रदेश	सिद्धि	संजय टी आर	पीपराही	24.03804111	81.69738222	735.06
20	मध्य प्रदेश	सिद्धि	संजय टी आर	पोनरी	23.96293028	81.77484833	1133.9
			संजय बाघ आरक्षित कुल		**3835.14**		
21	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	अमगॉव	23.98001278	81.81507694	1170.41
22	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	अराडंडी	23.88909472	82.23856444	34.19
23	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	अनरोला	23.8721775	82.15683694	445.81
24	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	बखही	23.97058417	81.99451361	401.7
25	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	बेलगॉव	23.89326444	82.13598806	129.02
26	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	बैनल	23.86788861	82.12681472	186.45
27	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	बेनदो	23.93543889	82.20335972	279.47
28	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	भागवर	23.96700167	81.97676056	305.71
29	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	आमराही	23.98142556	82.21455861	28.47
30	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	मनवरखी	24.00096389	82.08172139	274.98
31	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	भुइमर	23.96820139	82.14283833	296.77
32	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	बटु	23.9521775	82.12300222	155.53
33	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	छनगोहर	23.99762806	81.94620389	484
34	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	दादरी	23.87652583	81.7395025	365.37
35	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	देवरी	23.98053194	82.12240667	334.47
36	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	धर्मादवरी	23.98290861	81.90544861	261.55
37	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	धूपखर	24.00870861	81.8666625	802.89
38	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	दोगहारा	23.91131361	82.20341917	121.95
39	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	दूहकुरिया	23.97576639	81.79257778	181.57
40	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	दूवरी	23.98738222	81.935005	661.71
41	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	गडवही	23.92972028	82.1595175	109.74
42	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	गइबाटा	23.97576639	82.12901861	350.74
43	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	गनजर	23.91202861	81.90361278	407.97
44	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	घाटीटोआ	23.96373361	82.12050028	487.07

45	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	घोरबंध	23.912505	82.22956972	352.97
46	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	हाइकी	23.91390833	81.73669833	222.66
47	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	हरदी	23.86622056	81.73098417	502.8
48	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	हरराई	23.87557278	82.10422383	256.8
49	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	हरराईया	2398899056	81.92303194	199.52
50	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	जवरटोला	23.88057667	82.118475	125.51
51	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	जुरी	23.92209556	81.9677675	1124.38
52	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	कमच	23.97124778	81.8414825	372.56
53	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	करइल	23.9556325	82.15230972	143.73
54	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	करौनाटी	23.97266139	81.85252639	673.6
55	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	सरसोती	24.01776194	82.01816222	308.24
56	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	कथाउतिया	23.96230417	82.15028444	106.97
57	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	केसखरा	23.96111278	82.2084825	27.96
58	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	केसलर	23.91899806	82.1436725	366.22
59	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	खाइरी	23.9094075	81.723955	300.08
60	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	खामड़िया	23.92513361	82.1546925	86.16
61	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	खमचौरा	24.08943722	82.1546925	376.67
62	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	खोखारा	24.04509028	81.87283472	474.31
63	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	कोरर	23.97004806	81.96913778	693.72
64	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	कोला	23.85174556	81.74325528	443.45
65	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	कोटमा	23.93948944	81.95603278	340.15
66	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	कुनदोर	23.83059889	81.82379139	638.98
67	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	कुरचु	23.84269111	82.18137917	484.16
68	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	कुसमी	23.97671944	82.00190028	612.19
69	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	कुथर	24.06795167	816293825	670.02
70	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	लदगट	23.95688333	81.87877278	145.55
71	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	लूरघुटी 1	23.87122444	81.75701556	474.49
72	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	लूरघुटी 2	23.8672	81.758765	388.7
73	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	मचेरी	23.94449306	81.15975583	58.71
74	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	मच्चार काटा	23.96957139	82.16922722	1507
75	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	मझौली	24.08972806	81.62238444	314.465
76	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	मनवरी	23.92989889	82.00547417	78.02
77	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	मटखनिया	24.03199889	81.73068639	1338
78	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	मेरारिया	23.95593028	81.89363472	1104.37
79	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	मेरकी	24.02124889	81.75791556	135.16
80	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	ननगपोखर	23.87831306	81.71096917	110.39
81	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	नौरहिया	23.90944672	81.91290528	288.84
82	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	नौरहिया देवरथ	23.93448583	81.98450639	374.34

83	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	नीगन्नी	2398491667	81.79493111	122.29
84	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	पीपराहा	23.96760556	81.92243611	735.06
85	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	पोरी	24.10202722	81.57896917	381.08
86	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	पुरहदोल	23.87807472	82.12645722	187
87	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	रोहल	23.92960111	81.94656139	456.92
88	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	साजादोल	23.99050833	81.87231694	242.06
89	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	सरायेहा	24.08342917	81.65758083	397.51
90	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	सरसारी	23.83685361	81.78316583	48.06
91	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	सेमरा	23.95604944	82.13694111	286.59
92	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	सोनगढ़	23.99040639	82.11777111	387.55
93	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	तल	23.83697278	81.74397	234.31
94	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	त्रिचूली	23.95443972	81.87023694	88.39
सिद्धि कुल			**26709.905**				
95	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	सिंगरौली	भरसेरा	24.01014278	82.06061778	650
96	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	सिंगरौली	झारा	23.99975	82.04935194	500
97	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	सिंगरौली	पारासी	24.03537222	82.03630611	120
98	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	सिंगरौली	बनजरी	24.01913556	820026675	810
सिंगरौली कुल			**2080**				
99	छत्तीसगढ़	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	बरवही	23.90590639	81.65047917	257.78
100	छत्तीसगढ़	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	मरीसराई	23.8406425	81.67514167	361.79
101	छत्तीसगढ़	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	बरच्चा	23.86398889	81.64316556	77.23
	महेन्द्रगढ़ कुल						**696.77**
	कुल योग (हेक्टेयर)						**45568.012**
	वर्ग किलोमीटर में कुल क्षेत्र						**455.68012**

उपाबंध III

पारिस्थितिक संवेदी जोन के सामान्य क्षेत्र

क्र.सं.	**राज्य**	**जिला**	**वन प्रभाग**	**विधि स्थिति (क्षेत्र (हेक्टेयर))**			
				आरक्षित वन	**संरक्षित वन**	**राजस्व**	**कुल क्षेत्र**
1	मध्य प्रदेश	सिद्धि	संजय टी आर	48.570	0.000	3835.140	3883.710
2	मध्य प्रदेश	शहडोल	उत्तर शहडोल	11614.750	521.600	12246.197	24382.547
3	मध्य प्रदेश	सिद्धि	सिद्धि	32992.870	11185.362	26709.905	70888.137
4	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	सिंगरौली	814.000	0.000	2080.000	2894.000
5	छत्तीसगढ़	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	1736.327	842.857	696.770	3275.954
				47206.517	**12549.819**	**45568.012**	**105324.348**
(हेक्टेयर) में कुल क्षेत्र							**105324.348**

वर्ग किलोमीटर में कुल क्षेत्र	**1053.24348**

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2017.

S. O. 2811(E). — WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1277 (E), dated the 31st March, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the draft notification were made available to the public on the 31st March, 2016.

AND WHEREAS, objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification were duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, the Sanjay Dubri Tiger Reserve which includes Sanjay National Park and Sanjay Dubri Wildlife Sanctuary is spread over an of 1674.512 square kilometres of which 812.581 square kilometres is Core Area of the Tiger Reserve and 861.931 square kilometre is the Buffer Area and that the Tiger Reserve including both Core and Buffer Area is spread over the States of Madhya Pradesh and Chhattisgarh;

AND WHEREAS, the Sanjay National Park (464.643 sq.km.) and Sanjay Dubari Wildlife Sanctuary (347.938 sq.km.)are located in Madhya Pradesh and both the Protected Areas together constitute the core area of the Sanjay Dubri Tiger Reserve which is spread over 812.581 square kilometers;

AND WHEREAS, Sanjay National Park and Sanjay Dubri Wildlife Sanctuary has dry to moist deciduous peninsular type of vegetation which are characterised by open to very dense forest areas;

AND WHEREAS, Sanjay National Park and Sanjay Dubri Wildlife Sanctuary form part of Bandhavgarh-Sanjay-Guru Ghasidas-Palamau landscape which is one of the four potential tiger meta-population landscape;

AND WHEREAS, Sanjay National Park and Sanjay Dubri Wildlife Sanctuary provides corridor connectivity with Bandhavgarh Tiger Reserve for tigers and corridor connectivity for wild elephants of Palamu Tiger Reserve;

AND WHEREAS, the Sanjay National Park and Sanjay Dubri Wildlife Sanctuary is home to a wide variety of fauna; it provides shelter to 9 threatened (3 critically endangered, 3 endangered and 3 vulnerable) and 15 schedule-I animals; tigers, panthers and sloth bears are the major species found in the said reserve; occasional visiting herds of elephants are the other major attraction of the said reserve while cheetals, blue-bulls, sambars, four horned antelopes, chinkaras, barking deer and wild pigs are the major prey species; Dubari and Bastua ranges of the Sanjay Dubari Sanctuary and Pondi range of the Sanjay National Park provides shelter to the tiger population, while the Mohan range of the National Park plays host to the visiting population of elephants;

AND WHEREAS, various perennial rivers, viz., Gopad, Banas, Mawai, Mahan, Kodmar, Umrari flow through the Sanjay National Park and Sanjay Dubri Wildlife Sanctuary;

AND WHEREAS, wide variety of fauna is present in Sanjay National Park and Sanjay Dubri Wildlife Sanctuary which inter alia include Tiger, Panther, Sloth bear, Cheetal, Sambhar, Four Hhorned Antelopes, Chinkara, Barking Deer and Wild Pig;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the Sanjay National Park and Sanjay Dubri Wildlife Sanctuary, which together constitute the Core Area of the aforesaid Tiger Reserve, as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area up to an extent of 2 kilometers from the boundary of Sanjay National Park and Sanjay Dubri Wildlife Sanctuary, which together constitute the Core Area of the Sanjay Dubri Tiger Reserve, as the Sanjay National Park and Sanjay Dubri Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone), which is spread over the States of Madhya Pradesh and Chhattisgarh, details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The extent of Eco-Sensitive Zone is up to 2 kilometers from the boundary of Sanjay National Park and Sanjay Dubri Wildlife Sanctuary, which together constitute the Core Area of the Sanjay Dubri Tiger Reserve.

(2) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 1053.243 square kilometres which includes 861.931 square kilometres Buffer Area of Sanjay Dubri Tiger Reserve and includes 32.759 square kilometres area of Chhattisgarh State.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure I.**

(4) The Eco-sensitive Zone includes 98 villages in three Districts viz. Shahdol, Sidhi and Singrauli of Madhya Pradesh and 3 villages of Manendragarh District of Chhattisgarh.

(5) The list of the villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure II.**

(6) The area of the Eco-sensitive Zone is appened as **Annexure-III**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture and Horticulture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism including eco-tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal and Urban Development;
(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

1. Landuse.- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of the local residents and for the activities such as.-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs, rivers and channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/ Eco-tourism.-**

(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be permitted within 1 km from the boundary of the Sanjay National Park and Sanjay Dubri Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer and beyond the distance of 1 km. from the boundary of the Sanjay National Park and Sanjay Dubri Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government.

(9) Solid wastes.- Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016;

the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.- Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016.

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016.

(13) E-waste.- The e- waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be carried out in accordance with applicable laws and the efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, etc.

(16) Industrial units.- (i) no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 04th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (water, air, soil, noise, etc.).	(a) No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. (b) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.

7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Use of polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	New wood based industry.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities	
12.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
13.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet their residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
14.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
15.	Commercial goat and sheep farming.	Regulated under applicable laws.
16.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.
17.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
18.	Migratory graziers.	Regulated under applicable laws.
19.	Erection of electrical and	Regulated under applicable law (underground cabling may be

	communication towers and laying of cables and other infrastructures.	promoted).
20.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
21.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
22.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
23.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
24.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
25.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
26.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water, and the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
27.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
28.	Open well, bore well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws and the activity shall be monitored by the concerned authority.
29.	Solid waste management/bio-medical waste management.	Regulated under applicable laws.
30.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
31.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
32.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
33.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light, etc. to be actively promoted.
38.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
39.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
40.	Skill development.	Shall be actively promoted.
41.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
42.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

1. Divisional Commissioner, Rewa —Chairman;
2. Divsional Commissioner, Shahdol —Member;
3. District Collector, Singrauli —Member;
4. District Collector, Shahdol —Member;
5. District Collector, Sidhi —Member;
6. Superintending Engineer Public Works Department, Shahdol —Member;

7.	Superintending Engineer Public Health Department, Shahdol	—Member;
8.	Chief Executive Officer of District Panchayat, Singrauli	—Member;
9.	Chief Executive Officer of District Panchayat, Shahdol	—Member;
10.	Chief Executive Officer of District Panchayat, Sidhi	—Member;
11.	Representative of the Town and Country Planning Department of the State Government	—Member;
12.	Representative of the State Pollution Control Board	—Member;
13.	One representative of Non Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a term of three years in each case	— Member;
14.	One expert in the area of ecology and environment from a reputed institution of University in the State to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a term of three year in each case	— Member;
15.	Member, State Biodiversity Board	— Member;
16.	Field Director, Sanjay Dubri Tiger Reserve,	— Member Secretary.

6. Terms of reference.- (1) The tenure of the Monitoring Committee shall be for a period of three years.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F.No. 25/122/2015-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE WITH LATITUDES AND LONGITUDES

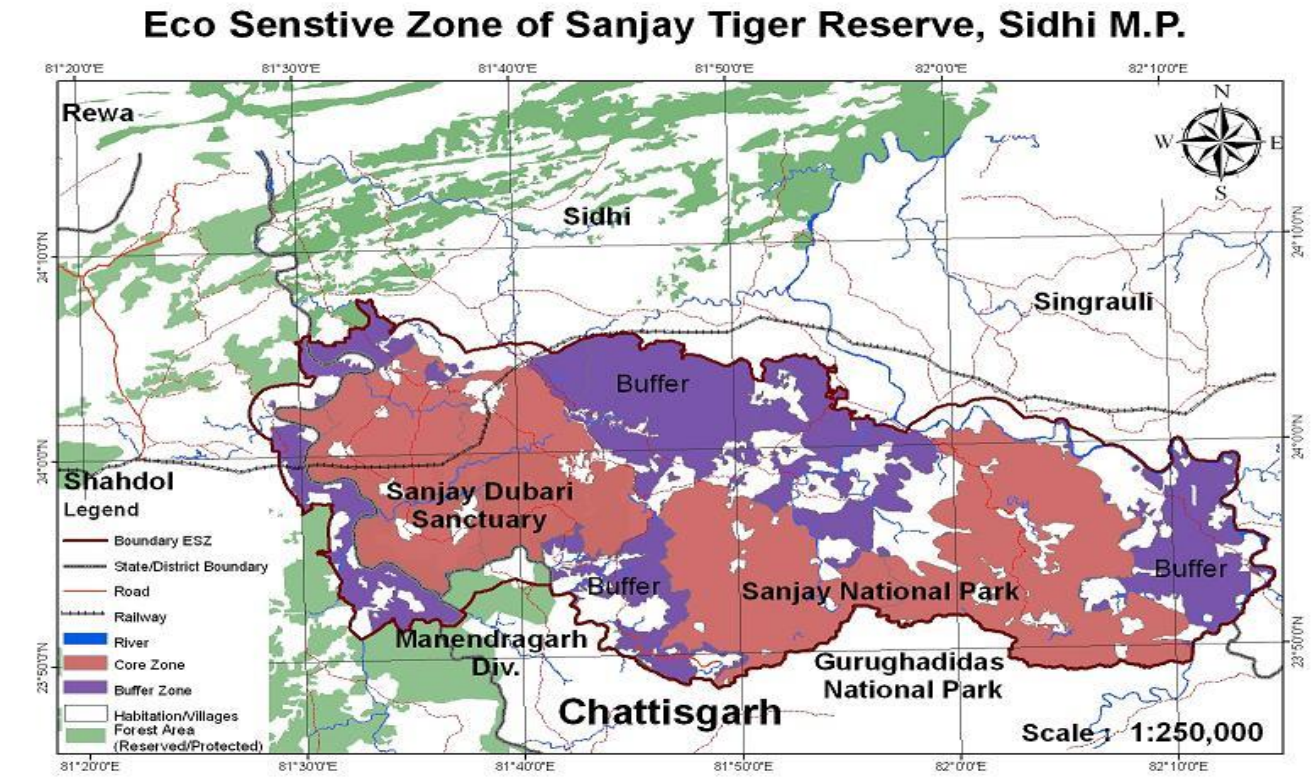

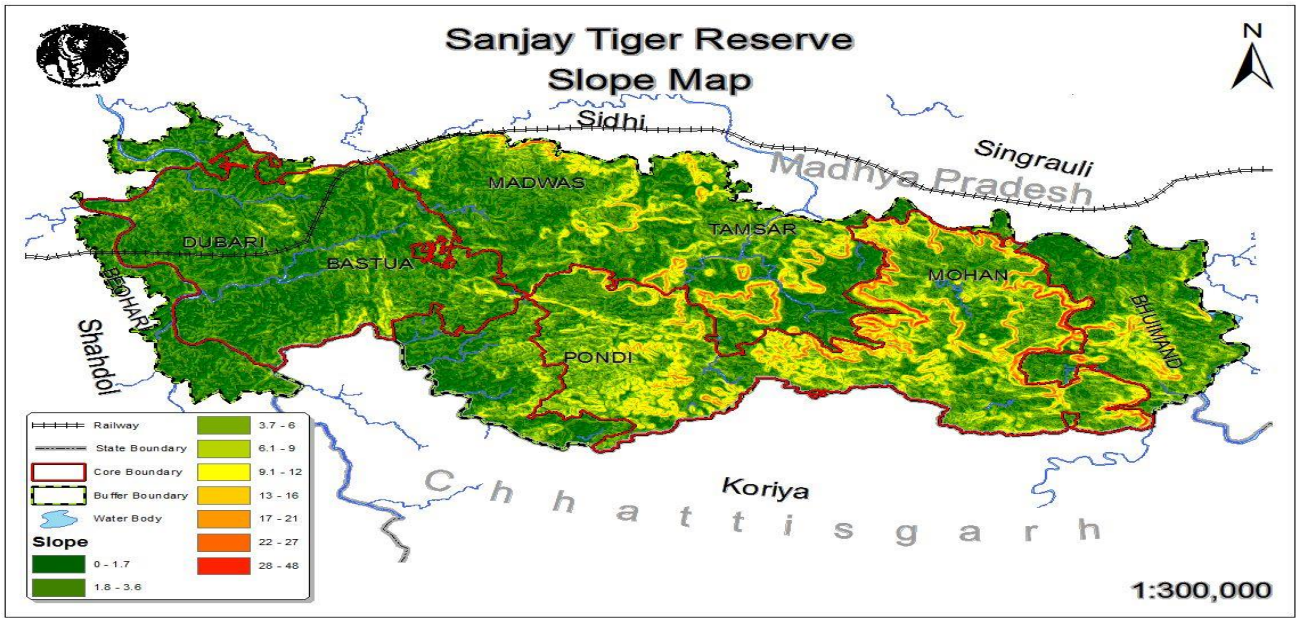

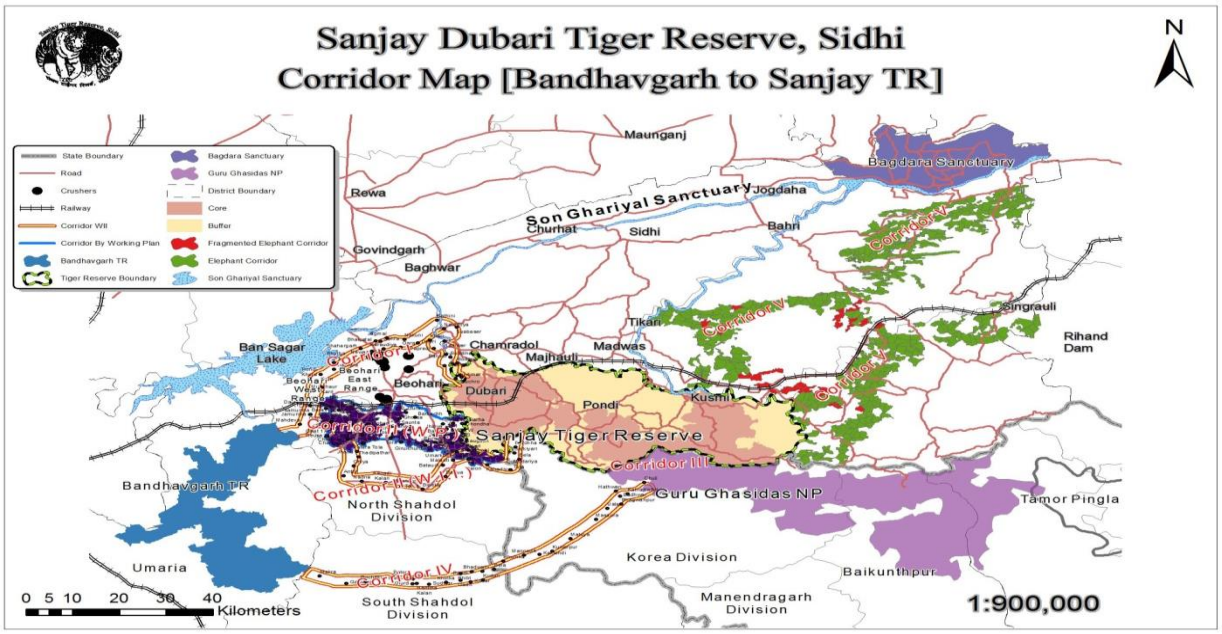

Sanjay Tiger Reserve Global Positioning System Co-ordinates Eco-sensitive Zone Boundary for the most prominent locations

Point Name	Latitude	Longitude
E1	23° 51' 4.984" N	82° 10' 35.933" E
E2	23° 53' 25.401" N	82° 14' 37.832" E
N1	24° 5' 35.843" N	81° 35' 27.404" E
N2	24° 7' 39.568" N	81° 32' 45.529" E
S1	23° 48' 33.513" N	81° 47' 29.256" E
S2	23° 48' 23.213" N	81° 48' 58.713" E
W1	24° 2' 9.668" N	81° 28' 50.959" E
W2	24° 2' 7.881" N	81° 27' 39.454" E

Annexure-II

List of villages in the Eco-sensitive Zone
List of villages with Co-ordinates falling within the Eco-sensitive Zone

S.No.	State	District	Division	Revenue	Lattitude (DD)	Longitude(DD)	Area (hectare)
1	Madhya Pradesh	Shahdol	North Shahdol	Buchro	24.06114528	81.52151722	1794.853
2	Madhya Pradesh	Shahdol	North Shahdol	Kudara	23.91503278	81.52030056	693.176
3	Madhya Pradesh	Shahdol	North Shahdol	Koilari	23.96599944	81.50953639	1938.728
4	Madhya Pradesh	Shahdol	North Shahdol	Jamuri	23.88525167	81.55605833	1915.454
5	Madhya Pradesh	Shahdol	North Shahdol	Belha	23.91849667	81.53654583	493.147
6	Madhya Pradesh	Shahdol	North Shahdol	Mithauli	23.88924972	81.53362889	289.247
7	Madhya Pradesh	Shahdol	North Shahdol	Kuthuli	23.88027861	81.5836125	843.066
8	Madhya Pradesh	Shahdol	North Shahdol	Khargari	23.86470222	81.60479889	1579.521
9	Madhya Pradesh	Shahdol	North Shahdol	Dhonda	23.986195	81.48775389	1299.505
10	Madhya Pradesh	Shahdol	North Shahdol	Palaha	23.91116083	81.52471694	71.81
11	Madhya Pradesh	Shahdol	North Shahdol	Pipari	23.87020083	81.54230167	180.02
12	Madhya Pradesh	Shahdol	North Shahdol	Bansa	24.1077325	81.50593056	298.25
13	Madhya Pradesh	Shahdol	North Shahdol	Khadda	23.98067361	81.49064639	507.46
14	Madhya Pradesh	Shahdol	North Shahdol	Sarwahi	24.04489333	81.4979525	341.96
North Shahdol Total							**12246.197**
15	Madhya Pradesh	Sidhi	SanjayTR	Barkadol	24.07353472	81.57295167	249.23
16	Madhya Pradesh	Sidhi	SanjayTR	Bastua	24.00224861	81.73506556	1185.39
17	Madhya Pradesh	Sidhi	SanjayTR	Goliphari	23.89886111	81.90297222	201.47

18	Madhya Pradesh	Sidhi	SanjayTR	Kudariya	24.03320583	81.70979139	330.09
19	Madhya Pradesh	Sidhi	SanjayTR	Piprahi	24.03804111	81.69738222	735.06
20	Madhya Pradesh	Sidhi	SanjayTR	Ponri	23.96293028	81.77484833	1133.9
Sanjay Tiger Reserve Total							**3835.14**
21	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Amgaon	23.98001278	81.81507694	1170.41
22	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Amradandi	23.88909472	82.23856444	34.19
23	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Amrola	23.8721775	82.15683694	445.81
24	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Barwahi	23.97058417	81.99451361	401.7
25	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Belgaon	23.89326444	82.13598806	129.02
26	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Beltal	23.86788861	82.12681472	186.45
27	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Bendo	23.93543889	82.20335972	279.47
28	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Bhagwar	23.96700167	81.97676056	305.71
29	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Bhamraha	23.98142556	82.21455861	28.47
30	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Bhanwarkoh	24.00096389	82.08172139	274.98
31	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Bhuimar	23.96820139	82.14283833	296.77
32	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Butu	23.9521775	82.12300222	155.53
33	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Changohar	23.99762806	81.94620389	484
34	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Dadari	23.87652583	81.7395025	365.37
35	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Devri	23.98053194	82.12240667	334.47
36	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Dharmadwari	23.98299861	81.90544861	261.55
37	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Dhopkhar	24.00870861	81.8666625	802.89
38	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Dighara	23.91131361	82.20341917	121.95
39	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Duhkuria	23.97576639	81.79257778	181.57
40	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Duwari	23.98738222	81.935005	661.71
41	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Gadwahi	23.92972028	82.1595175	109.74
42	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Gaibata	23.97576639	82.12901861	350.74
43	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Ganjar	23.91202861	81.90361278	407.97
44	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Ghatitola	23.96373361	82.12050028	487.07
45	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Ghorbandha	23.912505	82.22956972	352.97
46	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Haiki	23.91390833	81.73669833	222.66
47	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Hardi	23.86622056	81.73098417	502.8
48	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Harrai	23.87557278	82.10423833	256.8
49	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Harraiya	23.98899056	81.92303194	199.52
50	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Jawartola	23.88057667	82.118475	125.51
51	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Juri	23.92209556	81.9677675	1124.38
52	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Kamach	23.97124778	81.8414825	372.56
53	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Karail	23.9556325	82.15230972	143.73
54	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Karaunti	23.97266139	81.85252639	673.6
55	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Karsoti	24.01776194	82.01816222	308.24
56	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Kathautiya	23.96230417	82.15028444	106.97
57	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Keshkhera	23.96111278	82.2084825	27.96
58	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Keslar	23.91899806	82.1436725	366.22
59	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Khairi	23.9094075	81.723955	300.08
60	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Khamariya	23.92513361	82.1546925	86.16
61	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Khamchaura	24.08943722	81.5959825	376.67
62	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Khokhara	24.04509028	81.87283472	474.31
63	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Korar	23.97004806	81.96913778	693.72
64	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Kota	23.85174556	81.74325528	443.45
65	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Kotma	23.93948944	81.95603278	340.15
66	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Kundaur	23.83059889	81.82379139	638.98
67	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Kurchu	23.84269111	82.18137917	484.16
68	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Kusmi	23.97671944	82.00190028	612.19
69	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Kuthar	24.06795167	81.6293825	670.02
70	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Ladgat	23.95688333	81.87877278	145.55
71	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Lurghuti I	23.87122444	81.75701556	474.49
72	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Lurghuti II	23.8672	81.758765	388.7
73	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Macheri	23.94449306	82.15975583	58.71
74	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Machharkata	23.96957139	82.16922722	150.7
75	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Majhauli	24.08972806	81.62238444	314.465
76	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Manwari	23.92989889	82.00547417	78.02
77	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Matkhaniya	24.03199889	81.73068639	1338
78	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Merana	23.95593028	81.89366472	1104.37
79	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Merki	24.02124889	81.75791556	135.16
80	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Nangpokhar	23.87831306	81.71096917	110.39
81	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Naurhia	23.90944672	81.91290528	288.84
82	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Naurhiadewarth	23.93448583	81.98450639	374.34

83	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Niganni	23.98491667	81.79493111	122.29
84	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Piparaha	23.96760556	81.92243611	735.06
85	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Pori	24.10202722	81.57896917	381.08
86	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Purehdol	23.87807472	82.12645722	187
87	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Rohal	23.92960111	81.94656139	456.92
88	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Sajadol	23.99050833	81.87231694	242.06
89	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Saraiha	24.08342917	81.65758083	397.51
90	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Sarsai	23.83685361	81.78316583	48.06
91	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Semra	23.95604944	82.13694111	286.59
92	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Songarh	23.99040639	82.11777111	387.55
93	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Tal	23.83697278	81.74397	234.31
94	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	Trichuli	23.95443972	81.87023694	88.39
Sidhi Total							**26709.905**
95	Madhya Pradesh	Singrauli	Singrauli	Bharsera	24.01014278	82.06061778	650
96	Madhya Pradesh	Singrauli	Singrauli	Jhara	23.99975	82.04935194	500
97	Madhya Pradesh	Singrauli	Singrauli	Parasi	24.03537222	82.03630611	120
98	Madhya Pradesh	Singrauli	Singrauli	Banjari	24.01913556	82.0026675	810
Singrauli Total							**2080**
99	Chhattisgarh	Manendragarh	Manendragarh	Barwahi	23.90590639	81.65047917	257.78
100	Chhattisgarh	Manendragarh	Manendragarh	Marisarai	23.8406425	81.67514167	361.76
101	Chhattisgarh	Manendragarh	Manendragarh	Barchha	23.86398889	81.64316556	77.23
Manendragarh Total							**696.77**
Grand Total (hectare)							**45568.012**
Total Area in Square kilometre							**455.68012**

Annexure-III

ABSTRACT AREA OF ECO SENSITIVE ZONE

S.N.	State	District	Forest Division	Legal Status (Area (hectare))			
				Reserved Forest	Protected Forest	Revenue	Total Area
1	Madhya Pradesh	Sidhi	STR	48.570	0.000	3835.140	3883.710
2	Madhya Pradesh	Shahdol	North Shahdol	11614.750	521.600	12246.197	24382.547
3	Madhya Pradesh	Sidhi	Sidhi	32992.870	11185.362	26709.905	70888.137
4	Madhya Pradesh	Singrauli	Singrauli	814.000	0.000	2080.000	2894.000
5	Chhattisgarh	Manendragarh	Manendragarh	1736.327	842.857	696.770	3275.954
				47206.517	**12549.819**	**45568.012**	**105324.348**
Total Area In (hectare)							**105324.348**
Total Area in Square kilometre							**1053.24348**

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.
   Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.08.31 20:42:42 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.